(88)

माननीय सदस्य राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश मुख्यालय ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2017/6156

1. श्रीमती फिरोज जहां बेवा मोहम्मद समीम निवासी सिरांज
2. आयाब पुत्र मो. समीम
3. कु. नाजिया पुत्री मो. समीम
4. कु. सीमी उर्फ शाहिवा पुत्री मो. समीम
5. कु. बुसरा पुत्री. समीम

समस्त जाति मुसलमान निवासीगण युसुफ मुल्लाजी के बेल्डिंग वाले की दुकान के ऊपर (किराएदार) बोरवाडी सिरोंज जिला विदिशा

.... **निगरानीकर्तागण**

चन्देरा श्रीवास्तव अभि. 18-12-17 को ... हेतु 5-1-18 नियत।

18-12-17

रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1 अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल मजीद
निवासी तलैया मोहल्ला सिरोंज

2 मो. तोफीक पुत्र अब्दुल मजीद
निवासी लाला पंजाबी का मकान किडी मोहल्ला सिरोंज

3 मो. इकबाल पुत्र अब्दुल मजीद
निवासी किडी मोहल्ला सिरोंज

4 मों. नासिर पुत्र अब्दुल मजीद
मृत – श्रीमती जमुबेननिशा मृत वारसान

5 ताज मो. पुत्र रहूफ खां

6 केनु पुत्र मो. रहूफ खा

7 कौसर पुत्री रहूफ खां

8 शीवा पुत्री रहूफ खां
समस्त निवासीगण जैन होटल के सामने मुनब्बीर मस्जिद मकान नंबर बी–10 राजीव कालोनी हाउसिंग बोर्ड करोद भोपाल

9 श्रीमती खैरून निशा पुत्री अब्दुल मजीद पत्नि
शहजाद मियां जाति मुसलमान निवासी चंद्रलोक लाज सरवटे बस स्टेण्ड इंदौर

10 मेहरून निशा पुत्री अब्दुल मजीद पत्नि शेख मों.
सलीम उद्दीन पूर्व सरपंच जाति मुसलमान निवासी ग्राम दीराना ठिकाना व तहसील

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/6156 **जिला** – विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.12.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 22.11.2017 द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया गया है। इसके उपरांत अनावेदक द्वारा उनके समक्ष दिनांक 07.12.17 को प्रस्तुत आवेदन जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि उन्हें अपर आयुक्त भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत करना है इसलिए उन्हें एक माह का स्थगन दिया जाए। इस आवेदन पर सुनवाई उपरांत अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 07.12.2017 द्वारा उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.11.2017 का कियान्वयन 07.12.2017 से एक माह दिनांक 06.01.2018 तक यथास्थिति रखे जाने के आदेश दिए हैं। उनका उक्त आदेश क्षेत्राधिकार में होकर हस्तक्षेप योग्य नहीं है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	